न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या – 248/2016

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामदेव पुत्र लादूराम जाति कुम्हार निवासी खवास तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र रामनाथ कोम बलाई निवासी खवास तहसील केकडी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 22.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट खवास में पेश हुई। पत्रावली का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादपत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर के आराजी जमाबन्दी स. 2072–75 खाता स. 684 के खसरा नम्बर 1480 रकबा 0.90 है. वादी के दर्ज रिकॉर्ड है। वाद वर्णित आराजीयात वादी की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे वादी अपने हिस्से के अनुसार फसल काश्त कर रहा है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी के अलावा अन्य किसी का हक हिस्सा नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात का नक्शा ट्रेस जमाबन्दी संवत 2072–75 में नक्शा ट्रेस राजस्व अधिकारियों की गलती से गलत अंकन कर दिया है। वादग्रस्त आराजीयात में जमाबन्दी संवत 2072–75 में नक्शा ट्रेस में किये गये गलत अंकन को स. 2022–24 नक्शा ट्रेस के आधार पर दुरूस्त किया जावें। जिसे स्वीकार फरमावें।

पत्रावली केम्प खवास में पेश हुई । वादी/प्रतिवादी उप.। हमने पत्रावली में तहसीलदार केकडी, पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार केकडी से प्राप्त जवाब रिपोर्ट अनुसार ग्राम खवास के खसरा नम्बर 1480 रकबा 0.90 है. वादी की आराजीयात है। वादी द्वारा स. 2022–24 के मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी 2072–75 को शुद्व करवाना चाहता है। खसरा नम्बर 1480 के लगायत सभी खसरे 1447 रकबा 0.01,ख.न. 1478 रकबा 0.36, ख.न. 1479 रकबा 0.09 , खसरा नम्बर 1481 रकबा 0.46 है. खसरानम्बर 1482 रकबा 0.48 है. ख.न. 1483 रकबा 1.19 है. रिकॉर्ड में दर्ज है। परन्तु वर्तमान नक्शें की रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 1477 का 0.01,1478का 0.47,179 का 0.10, 1480 का 0.84, 1481 का 0.38, खसरा नम्बर 1482 का 0.48 है. खसरा नम्बर 1483 का रकबा 1.15 है. बनता है।

अतः वादी के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नक्शा दुरूस्ती वादपत्र में वर्णित आराजी के मुताबिक तहसीलदार केकडी ,पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खवास तहसील केकडी जिला अजमेर के संवत 2022–24 के साबिक नक्शे अनुसार जमाबन्दी स. 2072–75 में खसरा नम्बर 1480 के नक्शे में दुरूस्त कर अंकन किये जाने हेतु वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी को निर्णय की प्रति पृथक से पालना हेतु भिजवायी जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.6..2018 को पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 13:41:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी